राजस्व वाद 158 / 2022
जीसीएमएस नंबर–2022 / 269
रणजीत सिंह बनाम् जगदीश वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास **ओमप्रकाश वर्मा**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 158 / 2022

ण–
रणजीतसिंह पुत्र माधोसिंह , जाति–राजपूत, निवासी बरसूणा ,जायल, नागौर।

बनाम

दीगण –
जगदीश सिंह पुत्र माधोसिह
सरेन्द्रसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह
गुड्डी कंवर पुत्री रघुनाथसिंह
बिन्दु कंवर पुत्री रघुनाथसिंह
माया कंवर पुत्री रघुनाथसिंह
जातियान राजपूत निवासीगण– बरसुणा, जायल, नागौर।
प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कसनाउ, तहसील–जायल, नागौर
सरकार जरिये तहसीलदार जायल

थति :–
श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री दशरथसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
प्रतिवादी संख्या 6 परर्फोमा पक्षकार।
प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ क्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हाजरी श्री दशरथसिंह राठौड़ क्ता व प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म जाता है कि–यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बरसुणा के खेत खसरा नंबर /417 का विभाजन सहखातेदारान् वादी एवं प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

वादी रणजीत के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बरसुणा का खेत खसरा नंबर 339 / 417 रकबा 4.2087 हैक्टेयर में से 1.7259 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है जिसमें आवागमन का रास्ता खेत के उतरी तरफ स्थिति रास्ते से होकर जगदीश सिंह व सुरेन्द्रसिंह की माठ पर से होकर रहेगा।

प्रतिवादी संख्या 1 जगदीशसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बरसुणा का खेत खसरा नंबर 339/417 रकबा 4.2087 हैक्टेयर में से 1.4030 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बरसुणा का खेत खसरा नंबर 339/417 रकबा 4.2087 हैक्टेयर में से 1.0798 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के हक बंट कब्जा काश्त में कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का स्टाम्प शुल्क राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।

वाद पत्र के साथ संलग्न नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

नोट– बैंक के रहन के संबंध में, बैंक रिकार्ड में अद्यतन हेतु संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

ज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह –ाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत ुहर अदालत के आज तारीख 26/12/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
म्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
म्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
म्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
ताना वकील			खर्चा गवाहान		
कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
त् इजराज नामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
फरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
न			मिजान		

–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये ाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)